उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-47/2017/415/92-2-17-13आरई/2004

लखनऊ:: दिनांक:: 16 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री एस0पी0 राम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया द्वारा की गयी कतिपय अनियमितताओं के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-2053(3)/62-3-2004-13आरई/2004 दिनांक 21-06-2005 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस देते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री एस0पी0 राम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा की गयी अनियमितता निम्नवत थी :-

" सोहनपुर छेरिया मार्ग से कारकोट राजमंगल यादव मार्ग की 400 मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक पूर्ण कराने के लिये मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया के पत्र संख्या-1734/पू0वि0नि0/जिलांश/2000-01 दिनांक 22-11-2001 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 5,00,000.00 जारी की गयी तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 2.50 लाख अवमुक्त की गयी। विभाग को द्वितीय किश्त रू0 2.00 लाख, पत्र संख्या-248/दिनांक 18-02-2002 एवं तृतीय किश्त रू0 0.50 लाख, पत्र सं0-1649/दिनांक 16-11-2002 द्वारा दी गयी। उनके द्वारा उक्त मार्ग निर्माण लेपन स्तर तक कराने हेतु स्वीकृत प्राक्कलन रू0 5.00 लाख स्वीकृत किया गया परन्तु स्वीकृत प्राक्कलन की छायाप्रति पर प्राक्कलन संख्या व दिनांक अंकित नही है। विस्तृत प्राक्कलन के मुख्य प्राविधान निम्नवत है :-

पूर्व निर्मित मिटटी के मार्ग की चौडाई 3.50 मी0 से 6 मी0 करने हेतु तथा पूर्व निर्मित मार्ग की मरम्मत एवं लेवलिंग करने हेतु 30 से0मी0 मिटटी लेयर का प्राविधान करते हुये कुल 1745.50 घन मी0 मिटटी के कार्य की लागत रू0 29,690.50 का प्राविधान किया गया, जबकि जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा (जिस प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृत दी गयी) शिकायती पत्र के साथ संलग्न विस्तृत प्राक्कलन में मार्ग की चौडाई 07 मी0 करने हेतु मार्ग पर मिटटी की प्राविधानित मात्रा 2245.75 घन मी0 तथा लागत रू0 38,169.25 है। अत: मात्र 400 मी0 लम्बाई के मार्ग पर ही प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात मार्ग की चौडाई 7 मी0 के स्थान पर 6मी0 कर दी गयी तथा मिटटी के कार्य के एल सेक्शन एवं क्रास सेक्शन भी नही पाये गये।

अत: प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात मार्ग की चौडाई कम करने तथा मिटटी के कार्य की स्वीकृति लागत से कम का प्राविधान करने तथा स्वीकृत एल सेक्शन तथा क्रास सेक्शन के बिना मार्ग पर मिटटी का कार्य कराने हेतु श्री राम दोषी पाये गये। इस प्रकार मार्ग पर सम्पादित कार्य पर समुचित नियंत्रण न रखने के लिये भी वे दोषी है।"

2- श्री एस0पी0 राम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-देवरिया का स्पष्टीकरण शासन में दिनांक 08-07-2005 को प्राप्त हुआ। श्री एस0पी0 राम के विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण एवं संगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त उन्हें एल सेक्शन एवं क्रास सेक्शन के बिना मिटटी का कार्य कराने एवं मार्ग के सम्पादित कार्यो पर समुचित नियंत्रण न रखने हेतु दोषी पाया गया। अतएव प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त श्री एस0पी0 राम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया को निम्ववत परिनिन्दित करते हुये उनके विरूद्व लम्बित कार्यवाही समाप्त की गयी।

" श्री एस0पी0 राम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया को सोहनपुर छेरिया मार्ग से राजमंगल यादव मार्ग पर स्वीकृत एल सेक्शन एवं क्रास सेक्शन के बिना मिटटी का कार्य कराने एवं मार्ग के सम्पादित कार्यो पर समुचित नियंत्रण न रखने हेतु उन्हें परिनिन्दित किया जाता है।" यह परिनिन्दा प्रविष्टि वर्ष 2008-09 के लिये मानी जयेगी।

3- शासन के उक्त दण्डादेश दिनांक 02-04-2009 के विरूद्व श्री एस0पी0 राम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 20-09-2016 प्रस्तुत किया गया। श्री एस0पी0 राम के उक्त प्रत्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-427/62-3(प्रकोष्ठ)/09-13आरई /2004 दिनांक 02-04-2009 द्वारा श्री एस0पी0 राम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया को वर्ष 2008-09 के लिये दी गयी परिनिन्दा प्रविष्टि को एतदद्वारा विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-47/2017/415(1)/92-2-2017 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एस0पी0 राम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया सम्प्रति प्रखण्ड-बाराबंकी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in